न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

विचारण संख्या–276/2017

सी0आई0एस0 संख्या– 49/2018

बिहार सरकार द्वारा सूचक रामभजन राम.....अभियोजन

बनाम्

नरेश यादव एवं एक अन्य.....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

उपस्थितः राजीव कुमार–III,

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

निर्णय की तिथि

25वीं मार्च, 2026.

(विचारण संख्या 276/2017, सी0आई0एस0 संख्या–49/2018)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना (सीतामढ़ी) कांड संख्या 42/2017, जी0आर0 सं0– 2168/2017

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा रामभजन राम, पिता– परीक्षण राम, ग्राम–रामपुर पचासी, थाना–पुपरी, जिला –सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः– श्री उपेन्द्र बैठा, विशेष लोक अभियोजक	
अभियुक्तगणः– 1. नरेश यादव, उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता–शंकर यादव एवं 2. सुनैना देवी, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता–नरेश यादव, दोनों साकिन–रामपुर पचासी, थाना– पुपरी, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः– श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, अधिवक्ता	

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	02.06.2017
प्राथमिकी का दिनांक	30.06.2017

आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	31.07.2017
आरोप गठन का दिनांक	25.04.2019
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	16.10.2019
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	25.03.2026
निर्णय का दिनांक	25.03.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तो का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
1.	नरेश यादव	18.03.2019	18.03.2019	u/s 341, 323/34, 504, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S), SC/ST (POA) Act	**दोषमुक्ति**	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	सुनैना देवी	18.03.2019	18.03.2019	u/s 341, 323/34, 504,	**दोषमुक्ति**	कोई नहीं	कोई नहीं

				I.P.C. एवं u/s 3(1)(S), SC/ST (POA) Act			

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	फुल राय उर्फ फुल यादव	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	रामजन्म राय	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 3	संजीत राम उर्फ रंजीत राम	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 4	डॉ0 राजीव कुमार	चिकित्सक साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 5	संतोष राम	जख्मी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 6	रामभजन राम	सूचक/जख्मी साक्षी

'बी' प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	पी–1/पी0डब्ल्यू04	रामभजन राम का जख्म प्रतिवेदन।
2.	पी–2/पी0डब्ल्यू04	संतोष राम का जख्म प्रतिवेदन।
3.	पी–3/पी0डब्ल्यू06	लिखित आवेदन पर सूचक रामभजन राम का हस्ताक्षर।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	डी–1	अनुमंडल दण्डाधिकारी, पुपरी से धारा–107 द0प्र0स0 का नोटिस।

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. नरेश यादव** एवं **2. सुनैना देवी** का विचारण

भा0द0वि0 की धारा–341, 323/34, 504 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा– 3(1)(S) के अन्तर्गत ग्राम–रामपुर पचासी, थाना–पुपरी, जिला –सीतामढी में दिनांक 02.06.2017, दिन शुक्रवार समय करीब 08:00 बजे दिन में सूचक रामभजन राम एवं उसके पुत्र संतोष राम को मारकर जख्म करने एवं गाली देने के अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक रामभजन राम के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक 02.06.2017 दिन शुक्रवार, समय करीब 08:00 बजे दिन में मैं अपने घर से पश्चिम अपने खेत में धान का बिज गिराने के लिए खेत जोत रहा था कि मेरे गाँव के धनी–मणि उच्च वर्ग के दबंग व्यक्ति नरेश यादव, पिता–शंकर यादव एवं सुनैना देवी पति नरेश यादव साथ में चार–पाँच अज्ञात व्यक्ति आया एवं नरेश यादव गाली देते हुए कहने लगा कि रे साला चमरवा हमारे खेत होकर हल बैल क्यों ले गया है। मैं गाली देने से मना किया तो अपने आदमी को आदेश दिया कि मारो साले चमार को और मुझे गर्दन पकड़कर उठाकर पटक दिया एवं वह अपने जेब से चाकू निकालकर मुझे हत्या करने के नियत से मेरे सर पर वार किया जिसमें मेरा सर कट गया और मेरे सर से खून बहने लगा और फिर सभी व्यक्ति मिलकर लात, मुक्का एवं फैट से पीटने लगा। मुझे मार खाते देखा मेरा पुत्र संतोष राम बचाने आया तो उसे भी सभी लोग मिलकर पीटने लगा एवं नरेश यादव मेरे पुत्र को हत्या करने के नियत से कुदाल चलाकर काटने दौड़ा तो मेरा पुत्र बेखौफ जान बचाकर भागा। हल्ला पर गाँव के बहुत सारे लोग पहुंचे एवं जख्म हालत में मुझे उठाकर घर पहुंचाया उसके बाद नरेश यादव एवं उसके सहयोगी गुंडा, बदमास लोग मुझे एवं मेरे पूरे परिवार को चारो तरफ से घेरकर ईट–पत्थर बरसाने लगा एवं घर को आग लगाकर जला देने का धमकी देने लगा, गाँव के लोगों द्वारा थोर–थाम करने के पश्चात् नरेश यादव यह धमकी देते हुए अपने आदमी के साथ चला गया कि आज तो साले चमरवा तुमको गाँच के लोग बचा लिया है, किसी दूसरे दिन जान से ही हम तुम्हें मार देंगे। मैं एवं मेरा पुत्र जख्मी हालत में ग्रामीण के सहयोग से पुपरी सरकारी अस्पताल में गये जहां मेरा ईलाज हुआ।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना(सीतामढ़ी) कांड संख्या– 42/2017, दिनांक 03.06.2017 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 307, 504, 506/34, भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट प्राथमिकी में नामित दो अभियुक्तों एवं 4–5 अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर, उपरोक्त नामित अभियुक्त **नरेश यादव** क` विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया है एवं अभियुक्त सुनैना देवी को अनुत्प्रेषित दिखाया गया है।

5. प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण **1. नरेश यादव** एवं **2. सुनैना देवी** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504, भा0द0वि0 एवं धारा– 3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट में संज्ञान दिनांक 09.11.2017 को लिया गया है।

आरोप

6. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. नरेश यादव** एवं **2. सुनैना देवी** के विरूद्ध धारा–341, 323/34, 504, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

8. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के क्रम में मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 06 साक्षियों क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या 1 फुल राय उर्फ फुल यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 2 रामजन्म राय, अभियोजन साक्षी संख्या 3 संजीत राम उर्फ रंजीत राम, अभियोजन साक्षी संख्या 4 डॉ0 राजीव कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 5 संतोष राम एवं अभियोजन साक्षी संख्या 6 रामभजन राम का साक्ष्य कराया गया है।

10. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 से पी–3 तक प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार है:–

1.	पी–1/पी0डब्ल्यू04	रामभजन राम का जख्म प्रतिवेदन।
2.	पी–2/पी0डब्ल्यू04	संतोष राम का जख्म प्रतिवेदन।
3.	पी–3/पी0डब्ल्यू06	लिखित आवेदन पर सूचक रामभजन राम का हस्ताक्षर।

बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–1 प्रस्तुत किया गया है जो अनुमंडल दण्डाधिकारी, पुपरी से धारा– 107, द0प्र0स0 का नोटिस है एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. बचाव पक्ष का बचाव है कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने घटना कारित नहीं किया है।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि इस वाद में कुल छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में

गाली–गलौज तथा मारपीट करने का समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी धारा– 341, 323/34, 504 भा0द0वि0 का आरोप सिद्ध होता है। इस प्रकार विद्वान विशेष लोक अभियोजक कानून के अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना करते हैं।

13. बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद में कुल छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 फुल राय उर्फ फुल यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 2 रामजन्म राय है जो पक्ष–द्रोही साक्षी है। इस साक्षी ने अभियुक्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 संजीत राम उर्फ रंजीत राम एवं अभियोजन साक्षी संख्या 5 संतोष राम है जो सूचक का लड़का है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 डॉ0 राजीव कुमार का है जो चिकित्सक है। अभियोजन साक्षी संख्या 6 रामभजन राम है जो सूचक है। भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सभी आरोप अभियुक्तों के विरूद्ध साबित नहीं होता है। इस प्रकार, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 1 फुल राय उर्फ फुल यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 2 रामजन्म राय है जो पक्ष–द्रोही साक्षी है। इस साक्षी ने अभियुक्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 3 संजीत राम उर्फ रंजीत राम है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 02.06.2017 की सुबह आठ बजे की है। साक्षी द्वारा घटना तिथि हाथ पर लिखे हुये है जिसे देखकर बताता है। उस समय मैं अपने घर पर था तो बाबू जी सुबह में हल जोतने गये थे उसी समय नरेश यादव मेरे पिताजी रामभजन राम को गाली–गलौज करने लगे और गर्दन पकड़कर पटक दिया और चाकू निकालकर जान से मारना चाहा, बीच–बचाव करने मेरा भाई संतोष राम गया तो उसे भी फट्टा लेकर मारपीट किया, मेरे पिताजी बेहोश हो गये, मेरे पिता को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और मेरे भाई को कुदारी लेकर खदेड़ने लगा, जान बचाने मेरा भाई गाँव के नदी के उस पार चला गया तब उसकी जान बची और चार–पाँच आदमी नरेश यादव एवं उसकी पत्नी गवैरह उसी दिन करीब साढ़े नौ बजे दिन में मेरे घर पर जाकर मारपीट करने की नियत से पहुंचा और ईटा–पत्थर बरसाया और मारपीट किया। पिताजी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुपरी मे ईलाज करवाये। अभियुक्त नरेश यादव को देखकर पहचानता हूँ, जो न्यायालय में उपस्थित है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे पिताजी एवं नरेश यादव के बीच जमीनी विवाद नही है। भूमि विवाद निराकरण संख्या 236/2014–15 डी0सी0एल0आर0 पुपरी के न्यायालय में चला था। इस केस में अभियुक्त सुनैना देवी के पक्ष में फैसला हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। नरेश यादव बनाम रामभजन राम के बीच में एस0डी0एम0, पुपरी के न्यायालय में धारा–107 क अन्तर्गत मुकदमा चला था जिसकी जानकारी मुझे है। मेरी पत्नी विकास मिश्र है उसके बिहाफ में कागजात का काम मैं ही करता हूँ। परिवार के साथ पुपरी में रह जाता हूँ एवं पुपरी से घर आना–जाना भी करता हूँ। घटना पौन घंटा तक घटी, पौन घंटा के बीच राजेन्द्र राम, शकलू राम, लालो राम यही सब वहां थे। पुलिस मुझसे पूछताछ की थी, घटना के बीस दिन बाद पुलिस पूछताछ की थी। घटनास्थल के उत्तर में बांध, दक्षिण में गुदरी राय का खेत, पूरब में लक्ष्मी राम का खेत तथा पश्चिम में नरेश यादव का जमीन है। ऐसी बात नहीं है कि आज जैसा बयान दिया है वैसा बयान पुलिस को नहीं बताया था। मेरे पिताजी और नरेश यादव के बीच जमीन का विवाद चल

रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पिताजी को घर बनाने के दौरान बांस फाड़ने के दौरान चोट लगा था जिससे जख्मी हो गये थे और मेरे पिताजी नरेश यादव पर दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा कर दिये है और मैं पिताजी के कहने पर झूठी गवाही दी है।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 4 डॉ0 राजीव कुमार है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि On 03-06-2017, I was posted as Medical Officer, P.H.C., Pupri, Sitamarhi and on same very day, I examined Rambhajan Ram, S/o. Parikshan Ram, aged about 50 years, hindu male Village-Rampur Pachasi, P.S:- Pupri, District-Sitamarhi an found following injuries:-

(i) Mild swelling over scalp.

(ii) Mild swelling over right hand.

(iii) Whole body pain.

Age- Within 6 hours.

Nature of injury- Simple caused due to hard and blunt object.

This injury report has been pen down by me and it bears my signature, accordingly, the injury report of injured Rambhajan Ram is marked as exhibit P-1/PW4.

On same very day, I also examined Santosh Ram, S/o. Rambhajan Ram, aged about 20 years, hindu male, Village-Rampur Pachasi, P.S.-Pupri, District-Sitamarhi and found following injuries:_

(i) Whole body pain.

(ii) Mild swelling over right hand.

Age- Within 6 hours.

Nature of injury- Simple aused due to hard and blunt object.

This injury report has been pen down by me and it bear my signature, accordingly, the injury report of injured Santosh Ram is marked as exhibit P-2/PW4.

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि All the first, both the patients appeared in the OPD, where they were examined by me and thereafter on police requisition I have issued injury reports.

I have not reported to the police about the injured persons.

No mark of identifications are mention in the injury reports.

The injured persons were not personally known to me.

Pain itself is not an injury.

Swelling can be caused by other means except assault also.

At present both the patients are not present in the Court.

It is not true that I have prepared a collusive report.

17. अभियोजन साक्षी संख्या 5 संतोष राम है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घ ाटना दिनांक 02.06.2017, दिन शुक्रवार समय आठ बजे सुबह की है। उस समय मैं अपने पिता के साथ घर के पश्चिम दिशा में स्थित खेत में धान बीज गिराने जा रहा था। उसके बाद दो–चार मोड़ हल जोतने के बाद वहां पर नरेश यादव और उनकी पत्नी सुनैना देवी आए। उन लोगों के साथ दो–चार अज्ञात व्यक्ति भी थे और आकर पिताजी से गाली बोलने लगे और बोले कि साला चमार तुम मेरे खेत होकर हल और बैल लेकर क्यो गया है। मैंने तुम्हे हल और बैल ले जाने से मना किया था फिर भी तुम साला चमार हल और बैल लेकर मेरे खेत होकर क्यो गया है और मेरे पिताजी को मारने–पीटने लगे और नरेश यादव जेब से चाकू निकालकर मेरे पिताजी की हत्या करने की नियत से चलाए जो मेरे पिताजी के ललाट पर लगा। उसके बाद मैं बैल रोक कर अपने पिताजी को बचाने गया तो मुझे भी लात–फैट से नरेश यादव और उनके साथ आए अन्य 5–6 आदमी लोग मारने लगे और कुदाल लेकर मुझे जान से मारने के लिए आधा किलोमीटर तक दौड़ाए। अगर मैं खेत में गिर गया होता तो अभियुक्त मेरा गर्दन काट दिए होते। मैं नदी पार कर दूसरे के घर में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद जख्मी हालत में पिताजी को उठाकर घर ले गया तो वहां पर 4–5 अन्य आदमी के साथ मिलकर अभियुक्त नरेश यादव मेरे घर के उपर पत्थर और रोड़ा बरसाया। अगर गांव के लोग नहीं आते तो वे लोग ऐसा कह रहे थे कि साले चमार के घर में आग लगा दो, हमलोगों के घर में आग लगा दिए होते। पिताजी को अस्पताल लेकर गए, जहां उनका ईलाज हुआ। आज न्यायालय में अभियुक्त नरेश यादव उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूँ। एक अन्य अभियुक्त सुनैना देवी को देखकर पहचान लूंगा।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तों का हमलोगों के साथ जमीन संबंधी विवाद चल रहा ह। डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां पूर्व में मुकदमा चला था, उसमें क्या फैसला हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि डी0सी0एल0आर0 साहब के द्वारा अभियुक्तों के पक्ष में आदेश पारित किया गया था और मैं जान बुझकर इस बात को छुपा रहा हूँ। विवादित जमीन का खाता, खेसरा नहीं बता सकता हूँ, रकबा चार कट्ठा है। मेरे घर से आधा किलोमीटर पश्चिम दिशा में घटनास्थल है। घटनास्थल के अगल–बगल में सिर्फ रामएकबाल यादव का घर है। घटनास्थल के अगल–बगल में अन्य लोगों की जमीन है, जिस पर घ ाटना के समय कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे। स्वतः कहते हैं कि चौर की ओर लोग काम कर रहे थे। खेत पर मेरे पिताजी आठ बजे गए थे और लौटकर साढ़े नौ बजे आए। झगड़ा खत्म होने के बाद गाँव के लोग घटनास्थल पर आए थे। घटना के बाद बहुत सारे लोग घटनास्थल पर आए थे, लेकिन किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं डरकर वहां से भाग चुका था। पहले से अभियुक्त 4–5 आदमी थे और दो आदमी हमलोग थे, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति वहां नहीं थे। कुल घटना घटित होने में आधा घंटा समय लगा था। मारपीट करीब 15–20 मिनट तक लगातार हुआ। उसके बाद आदमीसब जुटे तो मारपीट रूका। चाकू से मारने के बाद पिताजी के ललाट से खून गिरा था। खून मेरे पिताजी के कपड़ा पर और जमीन पर गिरा था। मैं और मेरे पिताजी दो दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। गाँव के आदमी और परिवार से मेरा भाई हमलोगों को लेकर अस्पताल गया था। अस्पताल से आधा किलोमीटर के अंदर ही पुपरी थाना है। घटना के दिन मेरे परिवार के लोगों ने घटना की सूचना थाना को दिया था। उसी दिन पुलिस घटनास्थल पर आई थी। पुलिस के समक्ष मेरा बयान घ ाटना के दूसरे दिन हुआ था। मेरा बयान पुलिस द्वारा मेरे घर पर और खेत में लिया गया था। जिस समय मेरा बयान हुआ, उस समय मेरे पिताजी का बयान भी अलग–अलग हुआ। अस्पताल में भर्ती होने

का ओर डिस्चार्ज होने का कागज मिला था, जिसे पुलिस को नहीं दिया था। खून लगा कपड़ा पुलिस को नहीं दिए थे। खून का दाग दिखाए थे। घटनास्थल पर गिरे खून को पुलिस द्वारा एकत्रित कर अपने साथ नहीं ले जाया गया था। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस को दिए बयान में मैंने नहीं कहा था कि मैं अपने पिता के साथ घर के पश्चिम दिशा में स्थित खेत में धान बीज गिराने गया था और दो–चार मोड़ हल जोतने के बाद वहां पर नरेश यादव और उनकी पत्नी सुनैना देवी आए तथा उनलोगों के साथ दो–चार अज्ञात व्यक्ति भी थे और आकर पिताजी से गाली बोलने लगे और बोले कि साला चमार तुम मेरे खेत में होकर हल और बैल लेकर क्यों गया है एवं मैंने तुम्हें हल और बैल ले जाने से मना किया था फिर भी तुम साला चमार हल और बैल लेकर खेत होकर क्यों गया है और मेरे पिताजी को मारने–पीटने लगे और नरेश यादव जेब से चाकू निकालकर मेरे पिताजी की हत्या करने की नियत से चलाए जो मेरे पिताजी के ललाट पर लगा और उसके बाद मैं बैल रोककर अपने पिताजी को बचाने गया तो मुझे भी लात–फैट से नरेश यादव और उनके साथ आए, अन्य 5–6 लोग मारने लगे और कुदाल लेकर मुझे जान मारने के लिए आधा किलोमीटर तक दौड़ाए तथा अगर मैं खेत में गिर गया होता तो अभियुक्त मेरा गर्दन काट दिए होते। मैं नदी पार कर दूसरे के घर में जाकर छुप गया। ऐसी बात नहीं है कि मेरे समक्ष कोई घटना नहीं घटी थी। ऐसी बात नहीं है कि जमीनी विवाद के कारण यह झूठा मुकदमा किया गया है और आज न्यायालय में मैंने झूठी गवाही दी है।

18. अभियोजन साक्षी संख्या 6 रामभजन राम है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना आज से आठ वर्ष पूर्व, समय 8 बजे सुबह की है। उस दिन मैं खेत में था। खेत में कुदाल से खर–पतवार को मार रहा था। उसी खेत में मेरा बेटा संतोष राम हल चला रहा था। उसी समय नरेश यादव, सुनैना देवी एवं दो अन्य आदमी के साथ आया। नरेश यादव गाली दिया कि ये साला चमरवा तुम हमारे खेत में बैल क्यो टपाया है। मैं गाली देने से मना किया और कहा कि परती खेत में बैल टप गया है तो क्या जुलुम हो गया है इस पर बोले कि परता खेत मेरे बाप का है की तुम्हारे बाप का है। नरेश यादव बोला कि साले चमार हमसे मुंह लगाता है। नरेश यादव मुझे उठाकर पटक दिया और लात–मुक्का से मारपीट किया। नरेश यादव की पत्नी सुनैना देवी डंडा से मारने लगा। नरेश यादव जेब से चाकू निकालकर मेरे सर पर मारा। सर से खून निकलने लगा। मेरा बेटा संतोष राम बचाने आया तो नरेश यादव मेरा कुदाल उठाकर मेरे बेटा को मारना चाहा तो वह भाग गया। जानकारी होने पर मेरा बेटा संजीत राम, हरिकिशोर राम, परीक्षण राम, मेरी पत्नी लूचैन देवी एवं गॉव के अन्य लोग आया। लोग आया तो अभियुक्तगण भाग गया और लोग सब हमको उठाकर घर ले आए। उसके बाद नरेश यादव चार–पॉच आदमी के साथ आया और मेरे घर पर ईट–पत्थर बरसाने लगा और बोला कि साले चमार घर से निकलो, बचने नहीं देंगे, घर में आग लगा देंगे। टेम्पो से पुपरी सरकारी अस्पताल ईलाज के लिए ले गया। पुपरी सरकारी अस्पताल में ईलाज हुआ। घटना के सम्बंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना सीतामढ़ी में लिखित आवेदन दिया था। यही वह आवेदन है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श **P-1/PW2** अंकित किया जाता है। लिखित आवेदन के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सीतामढ़ी थाना काण्ड संख्या 42/2017 दर्ज हुआ। दो अभियुक्तों को पहचानता हूँ। आज न्यायालय के डॉक में अभियुक्त नरेश यादव उपस्थित है जिसे पहचानता हूँ। अभियुक्त सुनैना देवी को देखकर पहचान लूंगा। मारपीट करने वाले सभी आदमी को देखकर पहचान लूंगा।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि आवेदन थाना पर

लिखवाया था। आवेदन लिखने वाला व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ। आवेदन लिखने वाला व्यक्ति कहां का था, मुझे जानकारी नहीं है। आवेदन लिखने वाला व्यक्ति से मुझे पहले परिचित नहीं था। आवेदन लिखने व्यक्ति कितना पढ़ा–लिखा था, मुझे जानकारी नहीं है। आवेदन लिखकर दिया और बोला कि हस्ताक्षर कर दिजीए तो मैं हस्ताक्षर कर दिया। मेरे पास घरारी लेकर दस–बारह कट्ठा जमीन है। मैं अपना सभी जमीन का नम्बर नहीं बता सकता। घटना दिनांक 02/06/2017 की है। जिस खेत में झगड़ा हुआ उस खेत का नम्बर नहीं बता सकता। मेरे खेत के पूरब में नरेश यादव का खेत, पश्चिम में सियालाल राम का खेत, उत्तर में बांध है और दक्षिण में गुदरी राय का खेत है, इसी जमीन पर झगड़ा हुआ था। घटना के समय अगल–बगल में कोई आदमी नहीं था। मैं मवेशी रखता हूँ। मेरे घर से घटनास्थल की दूरी 400 मीटर पश्चिम है। मैं जिस समय खेत पर गया उस समय वहां पर पहले से कोई नहीं था। मेरे पहुंचने के एक घंटा बाद नरेश यादव आया। घटना के समय नरेश यादव के खेत में कोई फसल नहीं लगा हुआ था। अभियुक्त नरेश यादव से मेरा जमीन सम्बंधि विवाद चलता है। डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां मुकदमा चल रहा था, उसमें नरेश यादव का डिग्री नहीं हुआ। डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां वाला मुकदमा समाप्त हो गया है। डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां फैसला मेरे पक्ष में हुआ। डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां फैसला हुआ उसको न्यायालय में दाखिल करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि नरेश यादव के पक्ष में डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां फैसला हुआ था। घटनास्थल के बगल में रामएकबाल यादव का डेरा है। उस समय अन्य लोगों का डेरा नहीं था लेकिन अब दो आदमी डेरा बनाया है। घर से खेत पर आठ बजे गये और पन्द्रह–बीस मिनट के बाद घ र पर आ गये। मेरे घर से खेत में जाने और खेत से घर पर आने में कितना लोगों से मुलाकात हुई, मुझे याद नहीं है। पहले नरेश यादव के खेत होकर नहीं जाता था। मारपीट दस–पन्द्रह मिनट तक हुआ। जीतना लोग था सभी लोग मारा। मारपीट से बेहोश हो गया था। एक–दो मिनट तक बेहोश था। जब होश आया उस समय मैं कितना लोग को देखा, याद नहीं है। चाकू लगने के बाद खून कपड़ा और जमीन पर गिरा था। खून लगा कपड़ा दारोगाजी को दिया था। खून जमीन पर गिरा था वह भी दारोगाजी देखे थे। खून लगा मिट्टी दारोगाजी लिये या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। जिस समय घटना घटी उस समय गॉव के कोई लोग नहीं था। घटना घटने के पॉच–सात मिनट के बाद संजीत राम, हरिकिशोर राम, लूचैन देवी आई। उक्त सभी लोग मुझे वहां से घर ले आया। घर पर पन्द्रह–बीस मिनट तक रहा। उसके बाद सबलोग मुझे सरकारी अस्पताल, पुपरी ले गया। पुपरी सरकारी अस्पताल में कितने बजे पहुंचा, ध्यान में नहीं है। अस्पताल में पहुंचने के दो–चार मिनट के बाद मेरा ईलाज हुआ। पुपरी अस्पताल से पुपरी थाना की दूरी 100 मीटर है। उसी समय पुपरी थाना पर जाकर सूचना दिया। पुपरी थाना पर सूचना देने गया उस समय मेरे साथ संजीत राम था। संजीत राम छठा–सातवा तक पढ़ाई किया है। घटना के कल होकर दारोगाजी घर पर आये थे। केस दर्ज होने के बाद दारोगाजी मेरा पुर्नबयान दर्ज नहीं किये थे। मैं अस्पताल में करीब तीन घंटा तक रहा। पहले जमीन के लिए झंझट हुआ था उस समय मेरे साथ गाली–गलौज किया था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पुलिस के समक्ष बयान में नहीं बताया था कि खेत में कुदाल से खर–पतवार को मार रहा था और उसी खेत में मेरा बेटा संतोष राम हल चला रहा था और उसी समय नरेश यादव, सुनैना देवी एवं दो अन्य आदमी के साथ आया और नरेश यादव गाली दिया कि ये साला चमरवा तुम हमारे खेत में बैल क्यो टपाया है और मैं गाली देने से मना किया और कहा कि परती खेत में बैल टप गया है तो क्या जुलुम हो गया है इस पर बोले कि परता खेत मेरे बाप का है की तुम्हारे बाप का है और नरेश यादव बोला कि साले चमार हमसे मुंह लगाता है और लात–मुक्का से मारा। ऐसी बात नहीं है कि हमलोगों के बीच जमीन सम्बंधि विवाद चला आ रहा है इसलिए दबाव देने के लिए यह केस किया हूँ।

मंतव्य

19. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। लगभग सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है लेकिन सभी ने घटना को बढ़ा–चढ़ाकर भी प्रस्तुत किया है। सभी ने बड़ी घटना होने की प्रत्याशा का भी जिक्र किया है।

डॉक्टर की गवाही देने से भी प्रतीत होता है कि कोई धारदार हथियार या घातक हथियार से जख्म कारित नहीं किया है। चोट भी साधारण प्रकृति का बताया गया है।

घटना का कारण भी एक छोटी बात को लेकर होना बताया गया है।

दोनों पक्ष पड़ोसी है एवं उनके बीच किसी वर्ग विशेष के होने के कारण कोई विवाद होना परिलक्षित नहीं होता है, हां जमीन विवाद की बात कई बार आई है।

आदेश

20. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मन्तव्य एवं अभियोजन साक्ष्य की विवेचना एवं दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता के बहस पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. नरेश यादव** एवं **2. सुनैना देवी** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–341, 323/34, 504, भा0द0वि0 साबित होता है एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है। सजा के बिन्दू पर सुनवाई हेतु त्वरित आहुत करें।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत एवं
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।
दिनांक–25.03.2026

(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।
दिनांक–25.03.2026